(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 159 **नई दिल्ली** 25 अगस्त 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत् द्वारा, पारादीप पत्तन न्यास स्थित नियंत्रणाधीन उर्वरक बर्थ सं. 2 के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइज़र को-आपरेटिव लिमि.(इफको) द्वारा देय बर्थ किराया प्रभारों को, इसके साथ संलग्न आदेशों के अनुसार संशोधित करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/18/2009-पीपीटी

आ दे श

(जुलाई 2009 के 28 वें दिन पारित)

यह प्रकरण पारादीप पत्तन स्थित उर्वरक बर्थ सं. 2 के लिए 1 अप्रैल 2008 से इंडियन फार्मर्स फर्टीलाइज़र को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) पर लगाए गए नियंत्रणाधीन बर्थ किराया प्रभारों के संशोधन के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. पीपीटी और इफको के बीच दिनांक 28 अक्तूबर 2006 को हुए क़रार में प्रावधान किया गया है कि प्रहस्तित कार्गो की मात्रा का विचार न करते हुए, 37.25 लाख रूपये प्रति माह की दर से, मासिक आधार पर देय बर्थ किराया प्रभार 447 लाख रूपये वार्षिक होगा जिसकी, पीपीटी के न्यासी मंडल और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के अनुमोदन से वर्ष 2008 में समीक्षा की जाएगी ।

3. वर्ष 2008 में, पीपीटी ने बर्थ किराया प्रभारों में 5% की वृद्धि के लिए इफको को कथित रूप से एक प्रस्ताव भेजा । इफको ने, दिनांक 17 फरवरी 2009 के अपने पत्र द्वारा, प्रस्तावित वृद्धि के प्रति अपनी स्वीकृति की पुष्टि की है । पीपीटी के न्यासी मंडल ने दिनांक 27 फरवरी 2009 को आयोजित अपनी बैठक में, निर्धारित बर्थ किराया प्रभारों में 5% की वृद्धि के प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया । पीपीटी ने इस बात की पुष्टि की है कि संशोधित बर्थ किराया प्रभार, क़रार अवधि के अंत तक, अर्थात, 31 मार्च 2015 तक वैध रहेंगे ।

4. चूंकि, इफको और पीपीटी के बीच एक विशिष्ट क़रार के अन्तर्गत 31 मार्च 2015 तक संबंधित बर्थ केवल मात्र इफको द्वारा उपयोग में लाई जाएगी और बर्थ किराए में प्रस्तावित संशोधन उनके बीच परस्पर सहमति से किया गया है, यह प्राधिकरण उर्वरक बर्थ सं. 2 के लिए इफको पर, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2015 तक रू. 39,11,250/- प्रति माह की दर से 469.35 लाख रूपये वार्षिक की दर से संशोधित बर्थ किराया प्रभार लगाने को अनुमोदन प्रदान करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष